

जिला गजट
बिहार सरकार
जिला भू-अर्जन कार्यालय
सारण, छपरा-841301
DISTRICTS LAND-AQUISITION OFFICE
SARAN, CHAPRA-841301

अधिधोषणा

असाधारण अंक- 292

दिनांक- 25.2.19

समाहरणालय (जिला सामान्य शाखा) सारण, छपरा

ज्ञापांक:- 1453

दिनांक 29.12.18

प्रपत्र-VII

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता-सह-समुचित सरकार
अधिधोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

चूँकि बिहार सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना गोपालगंज जिलाधीन बंगरा घाट में मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत एस0एच0-74 एवं सारण जिला अंतर्गत एस0एच0-90 को जोड़ने वाले पथ में गंडक नदी पर प्रस्तावित उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु ग्राम-बगडीहा, थाना-मशरख थाना सं0-38 अंचल पानापुर छपरा जिला-सारण में कुल 0.2675 एकड़ यानि 0.1082305 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिधोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश-0.2675 एकड़ यानि-0.1082305 हे0 है, और जो ग्राम-बगडीहा, थाना-मशरख थाना-सं0-38 अंचल-पानापुर छपरा, जिला-सारण में है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

मौजा बगडीहा

क्रम सं०	खाता सं०	खेसरा संख्या	अर्जना किया जाने वाला क्षेत्र (डि०)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	वर्तमान रैयत का नाम एवं पता	(सीमा भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पु०	प०
1	17	165	0.025	निजी	आवासीय	दुर्गा मांझी पिता-स्व० सखीचन मांझी सा०-बगडीहा	निज	सड़क	सड़क	दुर्गा मांझी
2	8	166	0.02	निजी	आवासीय	दुर्गा मांझी पिता-सखीचंद मांझी व० अनुरुध प्रसाद व० किशुनदेव प्रसाद पिता-स्व० रामएकबाल प्रसाद सा०-बगडीहा	निज	सड़क	दुर्गा मांझी	अनुरुध प्रसाद
3	13	167	0.07	निजी	आवासीय	अनुरुध प्रसाद पिता-स्व० रामएकबाल प्रसाद व० गौतम प्रसाद व० सत्यदेव प्रसाद व० सुरज देव प्रसाद व० सोचन प्रसाद व० किंतु प्रसाद पिता-बाबुलाल प्रसाद सा०-बगडीहा	निज	सड़क	दुर्गा मांझी	बलिराम गिरी

4	46	169	0.09	गैरमजरूआ बूतदार	परती कदीम	-	निज	सड़क	अनुरूध प्रसाद	फुलेना राय
5	46	197	0.0475	गैरमजरूआ बूतदार	परती कदीम	-	निज	सड़क	फुलेना राय	सिवान विजौली
6	148	198	0.015	डिस्ट्रीक बोर्ड	सड़क	डिस्ट्रीक बोर्ड	निज	सड़क	बलिराम गिरी	मु0 गायत्री देवी

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज है। ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गयी है। परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, छपरा, सारण के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना शून्य हैं

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

६५-
समाहर्ता
-सह-
समूचित सरकार
सारण, छपरा।

ज्ञापांक...../दिनांक.....

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सी0डी0 के साथ-साथ दो दैनिक समाचार पत्रों जिनमें एक स्थानीय भाषा (हिन्दी) में हो, प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण को यथाशीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यापालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम कार्य प्रमंडल-II, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त सारण प्रमंडल को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- निदेशक-सह-विशेष सचिव भू-अर्जन निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला अवर निबंधक, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, पानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

६५-
समाहर्ता
-सह-
समूचित सरकार
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 292 / सा0, दिनांक 25.2.19

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

६५-
समाहर्ता
-सह-
समूचित सरकार
सारण, छपरा।